



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 14.04.2025

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 139/2025 धारा 5/9/25 आयुध अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को अवैध तमन्चे सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक युवक अवैध शस्त्र / तमन्चा लिये हुए दिख रहा था। वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर जांच की गई तो उक्त वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान तहजीम पुत्र तहसीन निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर दहाना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के रूप में हुई।



थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त तहसीम उपरोक्त को एक अवैध तमन्चा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त तहजीम द्वारा उक्त तमन्चे को सरताज पुत्र रियासत निवासी ग्राम शाहपुर खेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर से खरीदा हुआ बताया गया।

इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 139/25 धारा 5/9/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त सरताज उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तहजीम पुत्र तहसीन निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर दहाना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

वांछित अभियुक्त का विवरण-

सरताज पुत्र रियासत निवासी ग्राम शाहपुर खेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण

एक अवैध तमन्चा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक जयभगवान सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
- 2.उ0नि0 कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
- 3.आरक्षी आर्यन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
- 4.आरक्षी अमित पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 14.04.2025

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस पर अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह (14 अप्रैल से 16 अप्रैल) का हरी झण्डी दिखाकर शुभारम्भ किया गया ।

गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गृह मन्त्रालय भारत सरकार एवं फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को **अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

आज दिनांक 14.04.2025 को नगर बिजनौर में अग्निशमन वाहनों की रैली का शुभारम्भ पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा हरी झण्डी दिखाकर उक्त रैली को रवाना किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर भी मौजूद रहें। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बिजनौर के नेतृत्व में अग्निशमन वाहनों की रैली पुलिस कार्यालय, बिजनौर, नुमाईश ग्राउण्ड, जजी चौक, रोडवेज बस स्टैण्ड, सिविल लाईन, शक्ति चौक, कोतवाली तिराहा, जानी के चौराहे, झालू रोड काली के मन्दिर, सेन्ट मैरी चौराहे, चक्का चौराहा से होते हुए वापस फायर स्टेशन पर समाप्त हुई। अग्निशमन रैली में समस्त चौराहों पर वाहनों को रोककर आम नागरिकों में अग्नि सुरक्षा प्रचार-प्रसार किया तथा अग्निनिरोधक पम्पलेट वितरित किये गये। इसी प्रकार तहसील नगीना/नजीबाबाद/चान्दपुर/धामपुर में भी अग्निशमन वाहनों की रैली के माध्यम से अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रचार-प्रसार किया गया तथा पम्पलेट वितरित किये गये ताकि बढ़ते अग्निकाण्डों को कम किया जा सके एवं सम्भावित जन-धन की क्षति को रोका जा सके।

इसी क्रम में मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा फायर स्टेशन बिजनौर पर दिवंगत अग्निशमन कर्मियों को पुष्पचक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिनांक 14 अप्रैल 1944 को मुम्बई बदरगाह में फोर्टस्टीकेन नामक मालवाहक जहाज जिसमें रूई की गांठें, विस्फोटक एवं युद्ध उपकरण भरे हुए थे, में अचानक भंयकर रूप से आग लग गयी थी। इस आग को अग्निशमन कर्मी वीरतापूर्वक बुझा रहे थे, उसी समय जहाज में अचानक विस्फोट होने के कारण 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हो गये थे। उन जांबाज दिवंगत अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिये हम प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को “अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस” के रूप में मनाते हैं। फायर सीजन के दृष्टिगत अग्निकाण्डों में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप इस वर्ष “अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह” 03 दिवस (14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक) मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में अग्निसुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाये जाने हेतु पूर्व से ही स्कीमें चलाई जा रही है। यह अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह ही उन जांबाज अग्निशमन कर्मियों की वीरता के लिये सच्ची श्रद्धांजलि है। दिवंगत अग्निशमन कर्मियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सभी को अग्नि दुर्घटना मुक्त समाज का निर्माण करने में अपना सहयोग देना चाहिए। यह तभी सम्भव होगा जब आम नागरिकों में अग्नि सुरक्षा का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से किया जाये।

इस वर्ष की थीम है **“Unite to Ignite, a fire safe India”** **“एकजुट हों, अग्नि सुरक्षित भारत को प्रज्वलित करें।”** जिसका व्यापक प्रचार – प्रसार किया जाना है। इस अवसर पर फायर स्टेशन बिजनौर पर आयोजित स्मृति दिवस परेड के अवसर पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, बिजनौर सहित अग्निशमन तथा आपात सेवा बिजनौर के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बिजनौर द्वारा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर सहित अन्य अधिकारियों को पिन फ्लैग लगाये गये। इसी प्रकार फायर स्टेशन नगीना/नजीबाबाद/चान्दपुर/धामपुर पर भी स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें दिवंगत अग्निशमन कर्मियों को पुष्पचक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक “अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह” मनाया जायेगा जिसमें जनपद के स्कूलों में अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित निबन्ध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया जायेगा एवं बहुखण्डी भवनों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रचार-प्रसार/मार्केड्रिल करायी जायेगी तथा ग्रामीण अंचलों में प्रभारी अग्निशमन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाकर स्कूलों, संस्थानों, भवनों इत्यादि में प्रचार प्रसार किया जायेगा।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 14.04.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को चोरी की गयी मोटरसाईकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.04.2025 को वादी श्री मौ0 नासिर पुत्र श्री हबीब अहमद निवासी मौ0 जाटान बी-2 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मौ0 चाहशीरी से वादी की मोटरसाईकिल रजि0 नं0 UP 20 J 8804 चोरी कर ली है । इस सम्बंध में वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 321/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 14.04.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त मनोज वर्मा पुत्र राजेन्द्र वर्मा निवासी काशीराम कॉलोनी रामलीला ग्राउन्ड के पास थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी मोटरसाईकिल रजि0 नं0 UP 20 J 8804 सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



अभियुक्त मनोज वर्मा थाना कोतवाली शहर का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली शहर पर करीब एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मनोज वर्मा पुत्र राजेन्द्र वर्मा निवासी काशीराम कालोनी रामलीला ग्राउन्ड के पास थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी की मोटर साईकिल लाल रंग रजि0 नं0 UP 20 J 8804

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 0770/2017 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 0772/2017 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 0773/2017 धारा 379/411/413 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

- 4.मु0अ0स0 0570/2018 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 5.मु0अ0स0 0662/2019 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 6.मु0अ0स0 0311/2020 धारा 398/401 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 7.मु0अ0स0 0313/2020 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 8.मु0अ0स0 006/2021 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 9.मु0अ0स0 0852/2022 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 10.मु0अ0स0 0321/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 सुशील कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.का0 1198 संदीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.का0 2595 सुमित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर